UPMA060041332017

न्यायालय Addl Civil Judge (Junior Division) Court No-5, Mau

पीठासीन अधिकारी– (Shri Amit Kumar Yadav), **(उ०प्र० न्यायिक सेवा) – UP03496**

मूलवाद संख्याः Original Suit/1668/2017

Ramashanker Prajapati and Ors. *Vs* **R**am Awadh and Ors.

दिनांक 29.09.2021

पत्रावली पेश हुयी। आवेदक मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थना पत्र 66 क 2 तथा आपत्ति पर सुना।

निस्तारण प्रार्थना पत्र 66 क 2 तथा आपत्ति

प्रार्थना पत्र 66 क 2 आवेदक की ओर से इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि उक्त वाद में प्रतिवादीगण ने दौरान मुकदमा दिनांक 23.12.2017, दिनांक 04.09.2018, दिनांक 10.10.2018 व दिनांक 30.12.2017 को पंजीकृत बैनामा व मुवाहिदा वय अनेक लोगों को कर दिया है तथा दिनांक 07.04.2018 को वादस्थ स्थल को बैनामा करने की गरज से व वादस्थल की नवैयत बदलने की गरज से उसमें जगह–जगह बुनियाद बनाकर प्लाटिंग कर दिया जिससे वादस्थ स्थल का स्वरूप बदल गया है। ऐसी दशा में वादपत्र में तरमीम किया जाना आवश्यक है। इसके साथ ही साथ प्रतिवादीगण ने कुछ लोगों को खुश्की बैनामा कर दिया है। जिसके आधार पर वादस्थ स्थल में मुजाहिमत करने की धमकी दे रहे हैं। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि वाद पत्र में निम्नलिखित तरमीम करने की आज्ञा प्रदान करें–

1. वाद पत्र के अन्त में दिया गया नक्शा नजरी को कलमजद कर उसकी जगह नक्शा–नजरी को बनाने की आज्ञा प्रदान करें जो प्रार्थना पत्र के अन्त में दिया गया है।
2. प्रतिवादी सं० 2 के बाद अन्य प्रतिवादी सं० 3 ता 25 को फरीक मुकदमा बनाया जाये।
3. वाद पत्र की धारा–6 के बाद उपधारा 6 अ, 6 ब, 6 स व 6 द कायम किया जाये।
4. वाद पत्र की धारा–7 को कलमजद कर निम्न तौर पर कायम किया जाये–

धारा–7–विनाय मुखासिमत दावा हाजा दि० 06.12.2017 बावत धमकी देने, बैनामा करने व मुवाइदा वय व दि० 07.04.2018 कायम करने बुनियाद, जदीद दीवाल व दरवाजा व दौरान मुकदमा करने बैनामा व मुवाइदा बय व हटाने दखल जदीद व बुनियाद व आखिरी इंकार बमुकाम मौजा–सरायलखंसी, जिला–मऊ अन्दर हदूद इलाका अदालत हाजा वजूद पजीर हुई।

5. वाद पत्र की धारा–9 कलमजद कर निम्न तौर पर कायम किया जाये–

धारा–9–तायुनदावा वगरज अख्तियार समायत मु०–1501/–रू० है तथा रसूम हस्ब तफसील दादरसी देय है।

6. दादरसी "अ" के अन्त में इस दादरसी का तायुन मु० 250.50, तीस गुना मालगुजारी सरकार है, जिसकी एकचन्द लगान मु० 8.35 रू० तथा दस गुना मालगुजारी मु० 83.50 रू० है जिसका 1/5 मु० 200/–रू० से कम है लेहाजा मु० 200/–रू० पर रसूम देय है।
7. दादरसी "अ" के बाद दादरसी "अ 1" व "अ 2" कायम किया जाये।

उक्त प्रार्थना पत्र पर प्रतिवादीगण की ओर से आपत्ति का.सं. 69 ग 2 दाखिल करते हुए कथन किया गया है कि संशोधन वाद पत्र में जो कारण दर्शित किये गये हैं वह धारा –52 सम्पत्ति अन्तरण अधि० के सिद्धान्त से बाधित है। यदि कोई विवादित सम्पत्ति का अन्तरण दौरान मुकदमा किया जाता है

तो उस पर लिसपेन्डेन्स का सिद्धान्त लागू होगा। प्रस्तावित संशोधन में प्रस्तावित प्रतिवादी सं० 19, 20, 201 के पक्ष में मुआयदा व्यय तहरीर किया जाना कथन किया गया है। उपरोक्त मुआयदा व्यय के आधार पर कोई अधिकार सृजित नहीं होता है लेहाजा प्रस्तुत संशोधन द्वारा उन्हें पक्ष नहीं बनाया जा सकता है। उपरोक्त आदि कारणों से प्रार्थना पत्र का.सं. 66 क 2 खारिज किये जाने योग्य है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र 66 क 2 आवश्यक संशोधन किये जाने के आशय से प्रस्तुत किया गया है। उक्त संशोधन से वाद की प्रकृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है न ही वाद का स्वरूप बदल रहा है। अतः वाद के सम्पूर्ण तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए तथा वाद के सम्यकरूपेण, अंतिम व गुण दोष पर त्वरित निस्तारण के उद्देश्य से न्यायहित मे प्रार्थना पत्र 66 क 2 हर्जे पर स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थना पत्र 66 क 2 मुव० 200/–रू० के हर्जे पर स्वीकार किया जाता है। आवश्यक संशोधन अन्दर सप्ताह करें। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही दिनांक 05.10.2021 को पेश हो।

अपर सिविल जज (जू०डि०)
कोर्ट सं० 5, मऊ।